न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः– श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 09/2016

बउनवान

हीरालाल उम्र 65 वर्ष पुत्र श्री चतुर्भुज जाति लोधा निवासी बड़गांव तहसील अन्ता जिला बारां **मृतक**

1/1 रमेशचन्द्र उम्र 46 वर्ष पुत्र स्व. हीरालाल
1/2 मुरलीधर उम्र 35 वर्ष पुत्र स्व. हीरालाल
1/3 पप्पूलाल उम्र 30 वर्ष पुत्र स्व. हीरालाल
1/4 कान्तिबाई उम्र 33 वर्ष पुत्री स्व. हीरालाल
1/5 प्रेमबाई उम्र 60 वर्ष बेवा स्व. हीरालाल जातिगण लोधा निवासीगण बड़गांव तहसील अन्ता जिला बारां (राज.) **प्रार्थीगण**

बनाम

1. बिहारीलाल उम्र 44 वर्ष पुत्र श्री हीरालाल जाति बंजारा निवासी बड़गांव तहसील अन्ता जिला बारां (राज.) **(अप्रार्थीगण)**
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अन्ता जिला बारां (राज.)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत नियम 17(4) राज. कृषि प्रयोजनार्थ सींलिग अधिग्रहित भूमि आवंटन नियम 1973

उपस्थित :– 1. बाबूलाल जैन अभिभाषक **(प्रार्थीगण)**
2. श्री हरिओम चर्तुवेदी अभिभाषक **(अप्रार्थी कम 1)**

निर्णय दिनांक 14.09.2022

प्रार्थी की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत प्रार्थनापत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम बड़गांव की विवादित आराजी खसरा नंबर 1605 रकबा 0.11 है., 1606 रकबा 0.42 है. कुल किता 2 रकबा 0.53 है. वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बिहारीलाल पुत्र हीरालाल बंजारा के नाम गैर खातेदारी में आवंटन दिनांक 30.12.1998 से दर्ज हुई है। यह आवंटन खिलाफ कानून है क्योंकि वर्ष 1998 में आवंटी स्वंय पंचायत समिति अन्ता में ग्राम बड़गांव वार्ड संख्या 15 से वर्ष 1995 से वर्ष 2000 तक पंचायत समिति सदस्य के पद पर निर्वाचित प्रतिनिधि रहा है जिसका प्रमाण पत्र दिनांक 06.08.2015 को विकास अधिकारी पंचायत समिति ने जारी किया है। आवंटित भूमि प्रार्थी के खाते की भूमि खसरा नंबर 1607 रकबा 0.74 है., 1608 रकबा 0.59 है. में मिली हुई है जिस पर प्रार्थी का विगत 30 वर्ष से भी अधिक समय से निरन्तर कब्जा है। अप्रार्थी ने आवंटन दिनांक 30.12.1998 को या उसके बाद कभी भी आवंटित भूमि पर न तो कब्जा लिया है और न ही इस भूमि को काश्त किया है। उक्त आवंटित भूमि का नामान्तरकरण अप्रार्थी [illegible] खोला गया है क्योंकि जब आवंटित भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा ही नहीं था [illegible] नाम दिनांक 20.02.1999 को खोला गया गैर खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 180 [illegible] निरस्त होने योग्य है। अतः निवेदन है कि विवादित भूमियों का [illegible] 12.998 को अप्रार्थी के पक्ष में किया गया है निरस्त फरमावें।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)
जिला कलक्टर बारां (राज०)
Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.10.19 11:09:48 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थनापत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 की ओर से जर्ये अभिभाषक जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश हुआ कि आवंटन आदेश दिनांक 30.12.1998 के निरस्ती बाबत प्रार्थी ने अप्रार्थी के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के समक्ष दिनांक 11.02.1999 को अपील प्रस्तुत की थी जो अपील संख्या 139/1999 दिनांक 30.08.1999 को खारिज हुई। उक्त निर्णय की प्रार्थी द्वारा कोई अपील नहीं की। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र पूर्व न्याय के सिद्धान्त से बाधित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थी को आराजी के आवंटन उपरांत अप्रार्थी ने आवंटन आदेश की अनुपालना में 3470/– रूपये रसीद संख्या 0047 से भुगतान कर आवंटित आराजी पर दखल प्राप्त किया तभी से अप्रार्थी आवंटित आराजी पर लगातार काबित काश्त चला आ रहा है। आवंटित आराजी पर अप्रार्थी के नियमित कब्जे काश्त के आधार पर अप्रार्थी को दिनांक 04.08.2015 को उपखण्ड अधिकारी अन्ता द्वारा खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये जा चुके हैं। इस कारण खातेदार के विरूद्ध आवंटन निरस्त किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र विधितः संधारणीय नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। सन् 2014 में अप्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 1605, 1606 कुल रकबा 0.53 है. पर सोयाबीन की फसल बोई थी जो प्राकृति आपदा के कारण खराब हो गई थी जिसकी मुआवजा राशि 2385/– अप्रार्थी के खाता संख्या 608 मिनी बैंक बड़गांव में दिनांक 15.05.2014 को जमा हुये। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मिथ्या, बनावटी एवं पूर्व पारित निर्णय के तथ्यों को जान बुझकर कपट पूर्वक छिपाकर सम्मानीय न्यायालय में पेश किया है जो निरस्तनीय होने से निरस्त फरमावें।

हमने आवंटन संबंधी मूल पत्रावली उपखण्ड अधिकारी, अन्ता से तलब की। आवंटन पत्रावली प्राप्त होने पर हमने बहस उभयपक्ष सुनी।

बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी को जिस दिनांक को विवादित आराजी का आवंटन किया गया था उस तिथि को अप्रार्थी निर्वाचित प्रतिनिधि था तथा भूमि आवंटन हेतु पात्र नहीं था। अप्रार्थी ने उक्त तथ्य छुपाकर धोखे से विवादित आराजी का आवंटन करवाया है। आवंटन तिथि से आज दिनांक तक विवादित आराजी पर अप्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं रहा है। प्रार्थी उक्त आराजी पर लगभग 30 वर्ष से अधिक समय से काबिज रहकर काश्त कर रहा है। अपने कथन के समर्थन में अभिभाषक प्रार्थी ने विधिक दृष्टांत 2019 डीएनजे पृष्ठ संख्या 49 की छायाप्रति पेश की तथा अप्रार्थी को किये गये भूमि आवंटन को निरस्त करने की इस्तदुआ की।

दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थी ने कथन किया कि अप्रार्थी को आवंटित आराजी पर दखल दिया गया तथा आराजी अप्रार्थी के गैर खातेदारी में दर्ज की गई तथा आवंटन शर्तों की पूर्ण पालना करने से दिनांक 04.08.2015 को उपखण्ड अधिकारी अन्ता द्वारा अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्रदान किये। प्रार्थी ने उक्त आदेश को निरस्त कराने हेतु पूर्व में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के समक्ष अपील पेश की थी जो प्रकरण संख्या 139/99 निर्णय दिनांक 30.08.1999 को खारिज हो चुकी है। इस कारण प्रार्थी का प्रकरण पूर्व निर्णय के सिद्धान्त से बाधित है। अप्रार्थी सरकारी कर्मचारी नहीं है। यदि अप्रार्थी द्वारा पद का दुरूपयोग किया गया तो उसे पद से हटाया जा सकता था। आवंटन खारिज नहीं किया जा सकता। प्रार्थी अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टांत सरकारी कर्मचारी पर लागू

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

जिला कलक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.10.19 11:09:48 IST
Reason: SelfAttested

होने से प्रकरण पर चस्पा नहीं होता है। प्रकरण पर धारा 11 सीपीसी के प्रावधान लागू होने से प्रकरण रेस्ज्यूडिकेटा से प्रभावित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जावे।

रिपीटल में अभिभाषक प्रार्थी ने कथन किया कि प्रकरण पर धारा 11 सीपीसी के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया पत्रावली का आद्योपात अवलोकन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचारण किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र दिनांक 10.02.2016 को विवादित भूमि में बोई गई फसल को जबरन हंकवाने का प्रयास किया तब प्रार्थी को अप्रार्थी के आवंटन बाबत जानकारी होना अंकित करते हुए दिनांक 30.07.1998 से दिनांक 10.07.2015 तक की अवधि डिले कन्डोन कराने बाबत पेश किया जबकि न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 30.08.1999 से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी का आवंटन निरस्त करने हेतु अपील पेश की थी जो खारिज हुई। अतः प्रार्थी का उक्त कथन कि उसे जानकारी दिनांक 10.02.2016 को हुई गलत है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है।

अप्रार्थी को आवंटित भूमि पर दखल दिया गया है। दखलनामा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है तथा अप्रार्थी द्वारा नियत राशि जमा राजकोष कराई जाकर आवंटन शर्तों की पालना करने पर नियमानुसार दिनांक 04.08.2015 को खातेदारी प्राप्त हो गई। पूर्व में इन्ही तथ्यों पर आधारित अपील न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा खारिज की जा चुकी है। उन्ही तथ्यों पर प्रार्थी द्वारा पुनः प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है।

उपर्युक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थनापत्र सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14.09.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.10.19 11:09:48 IST
Reason: SelfAttested